(511)

संचिका संख्या : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(स्वी०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 18/7/25

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों, पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख/सदस्यों, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/सदस्यों एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/सदस्यों (पंच) को नियत (मासिक) भत्ता हेतु कुल ₹2,74,31,06,400.00 (दो अरब चौहत्तर करोड़ ईकतीस लाख छह हजार चार सौ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 479 दिनांक 15.01.2024 एवं विभागीय संकल्प संख्या 8102 दिनांक 27.06.2025 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति सदस्य/प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत मुखिया/उप–मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच/उप–सरपंच/सदस्य (पंच) को निम्नांकित सारणी में उल्लिखित दर के अनुरूप समेकित नियत (मासिक) भत्ते का भुगतान किया जाना प्रावधानित है :–

सारणी

| क्र० | पदनाम | नियत (मासिक) भत्ता (रुपये में) विभागीय संकल्प संख्या 479 दिनांक 15.01.2024 के अनुसार (दिनांक 30.06.2025 तक) | नियत (मासिक) भत्ता (रुपये में) विभागीय संकल्प संख्या 8102 दिनांक 27.06.2025 के अनुसार (दिनांक 01.07.2025 से अद्यतन) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जिला परिषद् अध्यक्ष | ₹12000 | ₹18000 |
| 2 | जिला परिषद् उपाध्यक्ष | ₹10000 | ₹15000 |
| 3 | पंचायत समिति प्रमुख | ₹10000 | ₹15000 |
| 4 | पंचायत समिति उप–प्रमुख | ₹5000 | ₹7500 |
| 5 | ग्राम पंचायत मुखिया | ₹5000 | ₹7500 |
| 6 | ग्राम पंचायत उप–मुखिया | ₹2500 | ₹3750 |
| 7 | ग्राम कचहरी सरपंच | ₹5000 | ₹7500 |

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\5TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order.docx43



P.T.O.

590

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | ग्राम कचहरी उप–सरपंच | ₹2500 | ₹3750 |
| 9 | जिला परिषद् सदस्य | ₹2500 | ₹3750 |
| 10 | पंचायत समिति सदस्य | ₹1000 | ₹1500 |
| 11 | ग्राम पंचायत सदस्य | ₹800 | ₹1200 |
| 12 | ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) | ₹800 | ₹1200 |

2. उक्त के आलोक में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को सामान्य निधि मद की देय अनुदान की राशि से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/ग्राम कचहरी के सदस्य (पंच) को नियत (मासिक) भत्ता के भुगतान हेतु कुल ₹2,74,31,06,400.00 (दो अरब चौहत्तर करोड़ ईकतीस लाख छह हजार चार सौ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में CFMS के माध्यम से करते हुए विभागीय खाता संख्या-040401010367, IFSC Code-ICIC0000404, ICICI Bank, Branch-Boring Road, Patna में अंतरित करायेंगे।

4. विभागीय पत्रांक 74 दिनांक 01.01.2025 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा। इस हेतु जिला पंचायत राज कार्यालय के Maker-Accountant, Checker अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं Approver जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे तथा जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता के भुगतान हेतु PFMS Portal पर प्रविष्ट बैंक खाता राशि विवरणी एवं अंतरित राशि की शुद्धता की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला के Maker, Checker एवं Approver की होगी।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नरूपेण बजट शीर्ष से की जायेगी :–

**राशि रूपये में**

| पदनाम | बजट शीर्ष | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| जिला परिषद् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य | "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान"<br>विपत्र कोड–16-2515001960007 | "0006.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" | **31914000.00** |

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit B\6TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order.docx44

(509)

| | | | |
|---|---|---|---|
| पंचायत समिति प्रमुख / उप–प्रमुख / सदस्य | "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान"<br><br>विपत्र कोड–16-2515001970004 | "0007.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" | **162207000.00** |
| ग्राम पंचायत मुखिया / उप–मुखिया / सदस्य | "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान"<br><br>विपत्र कोड–16-2515001980009 | "0008.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" | **1274492700.00** |
| ग्राम कचहरी सरपंच / उप–सरपंच / सदस्य (पंच) | "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान"<br><br>विपत्र कोड–16-2515001980009 | "0008.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" | **1274492700.00** |
| **कुल : (दो अरब चौहत्तर करोड़ ईकतीस लाख छह हजार चार सौ रूपये) मात्र** | | | **2743106400.00** |

6. जिला परिषद् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य, पंचायत समिति सदस्य / प्रमुख / उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत मुखिया / उप–मुखिया / सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच / उप–सरपंच / सदस्य (पंच) के नियत (मासिक) भत्ते का हस्तांतरित होने के पश्चात् बैंक के माध्यम से हस्तांतरित राशि के विवरण को प्रतिहस्ताक्षरित कर नियमानुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार कार्यालय, बिहार में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. इस स्वीकृत राशि से जिला परिषद् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य, पंचायत समिति सदस्य / प्रमुख / उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत मुखिया / उप–मुखिया / सदस्य एवं ग्राम कचहरी सरपंच / उप–सरपंच / सदस्य (पंच) को पूर्व के बकाये का भुगतान भी PFMS के माध्यम से किया जा सकेगा।



P.T.O —

(508)

8. इस राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. इस स्वीकृति प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/पं०रा० के पृष्ठ संख्या 122/टि० पर दिनांक 16.07.2025 को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृति प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/पं०रा० के पृष्ठ संख्या 123/टि० पर दिनांक 17.07.2025 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(स्था)पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25

प्रतिलिपि : उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(स्था)पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order.docx46

(507)

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(खांव) पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक (SPRC), राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा–5 (बजट), पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(खांव) पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025
प्रतिलिपि: शाखा प्रबंधक, ICICI Bank, Boring Road, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(खांव) पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(खांव) पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/30(खांव) पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order.docx47